प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी पाली–द्वितीय।** थाना : **ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर** वर्ष **2023**
   प्र.इ.रि.सं. 96/2023 दिनांक 26/4/2023

2. (1) 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.सं।
   (2) अधिनियम – धाराये .....–.....
   (3) अधिनियम .....–..... धारायें .....–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये.....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या 427 समय 6:30 P.M.
   (ब) अपराध के घटने का दिन – मंगलवार, दिनांक–29.11.2022
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक –28.11.2022 समय.– 06:15 पीएम

4. सूचना किस्म :– लिखित।

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बरूख दक्षिण–पूर्व ब्यूरो चौकी पाली से करीब 110 कि.मी.
   (ब) पता :– ग्राम मालनू, जिला पाली।
   .....बीट सख्या.....–..... जरायमदेही सं...–.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....–.....जिला.....–.....

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री सुजाराम।
   (ब) पिता/पति का नाम :– अचलाराम।
   (स) जन्म तिथि..... 38 साल
   (द) राष्टीयता,:– भारतीय
   (द) पासपोर्ट सख्या.....–..... जारी होने की तिथि .....–.....
   जारी होने की जगह .....–.....
   (र) व्यवसाय :– प्राईवेट नौकरी।
   (ल) पता.:– सीवेरा रोड, जाखा माताजी के पास मालनू तहसील बाली जिला पाली।

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. श्री भंवरसिंह पुत्र श्री शंकर सिंह निवासी ग्राम पातावा पोस्ट सेवाड़ी तहसील बाली जिला पाली तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल चामूण्डेरी अति. चार्ज पटवार मण्डल मालनू तहसील बाली जिला पाली हाल पटवारी (भू.अ.) पटवार मण्डल चामुण्डेरी।
   2. श्री नाथूसिंह दलाल।

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– शून्य

9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :–

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं) (यदि कोई हो तो) :–

12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :–

सेवामें

श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
पाली–2

विषय– पटवारी श्री भंवर सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़ने बाबत।

महोदयजी,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में मन् प्रार्थी सुजाराम पुत्र श्री अचलाराम जाति देवासी उम्र 38 साल निवासी सीवेरा रोड, जाखा माताजी के पास मालनू तहसील बाली जिला पाली का निवेदन इस प्रकार है कि मेरे गांव मालनू में दिनांक 08.12.2021 को प्रशासन गांवो के संघ केम्प था, जिसमें मौजूद पटवार हल्का चामुण्डेरी के पटवारी श्री भंवर सिंह जिनके पास ग्राम मालनू का अतिरिक्त चार्ज है, को मैंने मेरे पिता श्री अचलाराम के नाम म्यूटेशन भरवाने हेतु कागज तैयार कर केम्प में ही पेश किये थे, लेकिन पटवारी श्री भंवरसिंह द्वारा दो माह तक म्यूटेशन नहीं भरने पर मैंने उनको कॉल किया था, जिस पर पटवारी नें मुझे कहा कि आपके पिताजी श्री अचलाराम जी गोद गये हुए है, उनको गोदनामा मुझे लाकर पेश करो। जिस पर मैंने पटवारी को मेरे पिताजी का गोदनामा पेश किया, फिर भी काफी महिनो तक पटवारी मुझे चक्कर कटवाता रहा, लेकिन मेरे पिताजी के नाम से म्यूटेशन नहीं भरा। जिस पर मैं करीब 03 महिने पहले दो बार पटवार घर चामुण्डेरी गया तो पटवारी नें मुझे कहा कि आप श्री नाथूसिंह से मिल लो। जिस पर मैं श्री नाथूसिंह से मिला तो उन्होने मेरे से दो बार 1000–1000 रूपये लिये और कहा कि आपका काम हो जायेगा, लेकिन आज तक पटवारी नें मेरे पिताजी के नाम म्यूटेशन भरने का काम नहीं किया है। इस पर मैं दिनांक 25.11.2022 को पटवारी के कहेनुसार श्री नाथूसिंह से मिला तो श्री नाथूसिंह नें मेरे से 10,000 रूपये की मांग की। मैं पटवारी श्री भंवरसिंह एवं उनके साथ रहने वाले श्री नाथूसिंह को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं। मेरा पटवारी श्री भंवरसिंह एवं श्री नाथूसिंह कोई लेन–देन बकाया नहीं है।

अतः पटवारी श्री भंवरसिंह एवं उनके साथ रहने वाले श्री नाथूसिंह के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करावे।

भवदीय
हस्ताक्षर
(सुजाराम पुत्र श्री अचलाराम)
जाति देवासी गांव मालनू तहसील
बाली जिला पाली।
मो.नं. : 9928809962
8619084118

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 28.11.2022 को श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली–द्वितीय के मोबाईल नं. 94140–17777 पर ब्यूरो मुख्यालय हेल्पलाईन से वाट्सऐप कॉल आया एवं उप अधीक्षक पुलिस को निर्देशित किया कि परिवादी श्री सुजाराम द्वारा ब्यूरो

के हेल्पलाईन वाट्सऐप नम्बर पर एक शिकायत की गई है, जिसके बारे में आवश्यंक कार्यवाही करें। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस नें उनके मोबाईल नं. 94140–17777 से श्री सूजाराम के मोबाईल नं. 99288–09962 पर संपर्क किया तो परिवादी नें उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे ग्राम मालनू में दिनांक 08.12.2021 को प्रशासन गांवो के संघ केम्प था, जिसमें मौजूद पटवार हल्का चामुण्डेरी के पटवारी श्री भंवर सिंह जिनके पास ग्राम मालनू का अतिरिक्त चार्ज है, को मैंने मेरे पिता श्री अचलाराम के नाम म्यूटेशन भरवाने हेतु कागज तैयार कर केम्प में ही पेश किये थे, लेकिन पटवारी श्री भंवरसिंह द्वारा दो माह तक म्यूटेशन नहीं भरने पर मैंने उनको कॉल किया था, जिस पर पटवारी नें मुझे कहा कि आपके पिताजी श्री अचलाराम जी गोद गये हुए है, उनको गोदनामा मुझे लाकर पेश करो। जिस पर मैंने पटवारी को मेरे पिताजी का गोदनामा पेश किया, फिर भी काफी महिनो तक पटवारी मुझे चक्कर कटवाता रहा, लेकिन मेरे पिताजी के नाम से म्यूटेशन नहीं भरा। जिस पर मैं करीब 03 महिने पहले दो बार पटवार घर चामुण्डेरी गया तो पटवारी नें मुझे कहा कि आप श्री नाथूसिंह से मिल लो। जिस पर मैं श्री नाथूसिंह से मिला तो उन्होने मेरे से दो बार 1000–1000 रूपये लिये और कहा कि आपका काम हो जायेगा, लेकिन आज तक पटवारी नें मेरे पिताजी के नाम म्यूटेशन भरने का काम नहीं किया है। इस पर मैं दिनांक 25.11.2022 को पटवारी के कहेनुसार श्री नाथूसिंह से मिला तो श्री नाथूसिंह नें मेरे से 10,000 रूपये की मांग की। मैं पटवारी श्री भंवरसिंह एवं उनके साथ रहने वाले श्री नाथूसिंह को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं। मेरा पटवारी श्री भंवरसिंह एवं श्री नाथूसिंह से कोई लेन–देन बकाया नहीं है।

परिवादी द्वारा जरिये मोबाईल उप अधीक्षक पुलिस को बताये तथ्यो से मामला प्रथम दृष्ट्या भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने से उप अधीक्षक पुलिस नें परिवादी श्री सुजाराम से दिनांक 29.11.2022 को उसके गांव मालनू में ही रहने के लिये कहा तथा कहा कि मैं ब्यूरो के श्री दादूदान कानिस्टेबल को मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर के रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु आपके पास भेजूंगा। साथ ही परिवादी से कहा कि आप उपरोक्त तथ्यो का एक प्रार्थना पत्र भी श्री दादूदान कानि. को सुपुर्द करे। तत्पश्चात् उप अधीक्षक पुलिस नें श्री दादूदान कानि. 481 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब किया तथा श्री दादूदान कानि. 481 को डिजीटल वॉयस रिकार्डर संचालन की प्रक्रिया समझाई गई एवं श्री दादूदान कानि. को परिवादी के मोबाईल नम्बर 99288–09962 दिये गये। तत्पश्चात् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री दादूदान कानि. को निर्देशित किया कि आप दिनांक 29.11.2022 को प्रातः ग्राम चामुण्डेरी पहुंच परिवादी श्री सुजाराम से संपर्क करे तथा परिवादी से प्रार्थना पत्र लेकर परिवादी को आरोपी के पास भेजकर रिश्वत राशि मांग का गोपननीय सत्यापन करावे।

दिनांक 29.11.2022 को उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री दादूदान कानि. को ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया एवं परिवादी से संपर्क करने एवं आरोपी पटवारी से रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की आवश्यक हिदायत देकर ग्राम चामुण्डेरी के लिये रवाना किया। उसी रोज सांय को श्री दादूदान कानि. एवं एक व्यक्ति उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय में उपस्थित हुऐ। श्री दादूदान कानि. नें उनके साथ आये व्यक्ति को परिवादी श्री सुजाराम होना बताया। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से उसका परिचय पूछने पर उसने अपना परिचय श्री सुजाराम पुत्र श्री अचलाराम जाति देवासी उम्र 38 साल निवासी सीवेरा रोड, जाखा माताजी के पास मालनू तहसील बाली जिला पाली के रूप में दिया। श्री दादूदान कानि. नें ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ हालत में तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया एवं बताया कि ब्यूरो कार्यालय पाली से रवाना होकर मैं ग्राम चामुण्डेरी पहुंचा एवं परिवादी के मोबाईल नम्बर

99288–09962 पर कॉल किया तो परिवादी नें कहा कि मैं चामुण्डेरी आ रहा हूं, आप वहीं रहो। करीब 20 मिनट बाद परिवादी चामुण्डेरी आया एवं मुझे कॉल किया। जिस पर मैं परिवादी के पास पहुंचा एवं परिवादी से संपर्क कर उसका परिचय पूछा तो उसनें अपना नाम सुजाराम पुत्र श्री अचलाराम जाति देवासी उम्र 38 साल निवासी सीवेरा रोड, जाखा माताजी के पास मालनू तहसील बाली जिला पाली होना बताया। परिवादी श्री सूजाराम नें अग्रिम कार्यवाही के लिये श्रीमान् उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय के नाम हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ''मन् प्रार्थी सुजाराम का निवेदन इस प्रकार है कि मेरे गांव मालनू में दिनांक 08.12.2021 को प्रशासन गांवो के संघ केम्प था, जिसमें मौजूद पटवार हल्का चामुण्डेरी के पटवारी श्री भंवर सिंह जिनके पास ग्राम मालनू का अतिरिक्त चार्ज है, को मैंने मेरे पिता श्री अचलाराम के नाम म्यूटेशन भरवाने हेतु कागज तैयार कर केम्प में ही पेश किये थे, लेकिन पटवारी श्री भंवरसिंह द्वारा दो माह तक म्यूटेशन नहीं भरने पर मैंने उनको कॉल किया था, जिस पर पटवारी नें मुझे कहा कि आपके पिताजी श्री अचलाराम जी गोद गये हुए है, उनको गोदनामा मुझे लाकर पेश करो। जिस पर मैंने पटवारी को मेरे पिताजी का गोदनामा पेश किया, फिर भी काफी महिनो तक पटवारी मुझे चक्कर कटवाता रहा, लेकिन मेरे पिताजी के नाम से म्यूटेशन नहीं भरा। जिस पर मैं करीब 03 महिने पहले दो बार पटवार घर चामुण्डेरी गया तो पटवारी नें मुझे कहा कि आप श्री नाथूसिंह से मिल लो। जिस पर मैं श्री नाथूसिंह से मिला तो उन्होने मेरे से दो बार 1000–1000 रूपये लिये और कहा कि आपका काम हो जायेगा, लेकिन आज तक पटवारी नें मेरे पिताजी के नाम म्यूटेशन भरने का काम नहीं किया है। इस पर मैं दिनांक 25.11.2022 को पटवारी के कहेनुसार श्री नाथूसिंह से मिला तो श्री नाथूसिंह नें मेरे से 10,000 रूपये की मांग की। मैं पटवारी श्री भंवरसिंह एवं उनके साथ रहने वाले श्री नाथूसिंह को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं। मेरा पटवारी श्री भंवरसिंह एवं श्री नाथूसिंह से कोई लेन–देन बकाया नहीं है। अतः पटवारी श्री भंवरसिंह एवं उनके साथ रहने वाले श्री नाथूसिंह के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करावे। इस पर मन् कानि. द्वारा श्रीमान् द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की। तत्पश्चात् परिवादी नें स्वयं के स्तर पर पता कर बताया कि पटवारी श्री भंवर सिंह पटवारघर चामुण्डेरी में उपस्थित है। जिस पर मन् कानि. द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द किया तथा परिवादी को पटवार घर चामुण्डेरी के लिये रवाना किया तथा मन् कानि. वहीं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खड़ा रहा। करीब 15 मिनट पश्चात् परिवादी पुनः मेरे पास आया, जिस पर मैंने उससे डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा। परिवादी नें मन् कानि. को बताया कि मैं डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर पटवार भवन चामुण्डेरी पहुंचा, जहां पटवारी श्री भंवरसिंह व दलाल श्री नाथूसिंह हाजिर मिले। श्री भंवरसिंह पटवारी नें मेरे पिताजी के गोदनामे का म्यूटेशन भरने के लिये रिश्वत राशि के पैसे देने के लिये कहा तथा रिश्वत राशि के पैसे दलाल श्री नाथूसिंह के कहेनुसार देने के लिये कहा। वहां से दलाल श्री नाथूसिंह मुझे पटवार भवन के बरामदा में लेकर गया एवं दलाल श्री नाथूसिह नें मुझे अपने हाथो की अंगुलियो, अंगुठे से ईशारा किया तो मैंने कहा दस हजार रूपये ज्यादा होंगे, मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर श्री नाथूसिंह 5000 रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत हुआ। तत्पश्चात् मन् कानि. मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर के परिवादी को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुआ हूं। जिस पर पास खड़े परिवादी श्री सुजाराम नें भी श्री दादूदान कानि. के उक्त कथनो की तायद की।

तत्पश्चात् उप अधीक्षक पुलिस नें डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी, आरोपी भंवरसिंह एवं दलाल नाथूसिंह के मध्य हुई रिकार्ड वार्ता को सुना तो परिवादी द्वारा श्री

दादूदान कानि. को बताये गये तथ्यो की पुष्टि हुई तथा दलाल नाथूसिंह द्वारा पटवारी भंवरसिंह के लिये 5000 रूपये लेने हेतु सहमत होना पाया गया। परिवादी की रिपोर्ट से मामला प्रथम दृष्ट्या भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी श्री सूजाराम को आरोपितगणो को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000 रूपये लेकर आने के लिये कहा। जिस पर परिवादी नें बताया कि मैं कुछ दिनो के लिये मेरे आवश्यक काम से पूना (महाराष्ट्र) जा रहा हूं, वहां से वापस आकर रिश्वत राशि सहित कार्यालय में हाजिर आउंगा। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को शीघ्र रिश्वत राशि लेकर ब्यूरो में उपस्थित आने व प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया।

परिवादी के काफी दिनो तक ब्यूरो पर उपस्थित नहीं आने से उप अधीक्षक पुलिस द्वारा समय–समय पर परिवादी की तलबी हेतु कॉल किये जाते रहे, मगर परिवादी श्री सूजाराम द्वारा आवश्यक कार्य में पूना (महाराष्ट्र) में व्यस्त होने का कहता रहा। साथ ही परिवादी नें बताया कि मैं मेरे काम से निवृत होकर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हो जाउंगा।

दिनांक 01.03.2023 को उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अब तक की कार्यवाही के हालात निवेदन किये। साथ ही उप अधीक्षक पुलिस नें स्वयं की आगामी दिनो में ए.सी.बी. कोर्ट अलवर में शहादत नियत होने पर शहादत पर जाने तथा परिवादी शीघ्र ही कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने बाबत् बताया। तत्पश्चात् उप अधीक्षक पुलिस नें अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी श्री सूजाराम द्वारा प्रस्तुतशुदा रिपोर्ट मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द की गई। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उप अधीक्षक पुलिस से अब तक की कार्यवाही से सम्बंधित दस्तावेजात प्राप्त कर अवलोकन किया गया तथा परिवादी से उसके मोबाईल नं. 99288–09962 पर वार्ता की तो परिवादी नें बताया कि मैं पूना (महाराष्ट्र) में हूं तथा होली पर्व के बाद मैं स्वयं ही आपके कार्यालय पर हाजिर हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई।

दिनांक 10.03.2023 को परिवादी श्री सूजाराम ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन् अति. पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। परिवादी श्री सूजाराम से कार्यवाही के बारे में वार्ता की तो परिवादी नें बताया कि श्री भंवरसिंह पटवारी के पास में मेरे गांव मालनू का अतिरिक्त चार्ज था। अब मुझे जानकारी मिली कि मेरे गांव मालनू में किसी अन्य पटवारी का स्थाई पदस्थापन हो चुका है तथा मैंने ऑनलाईन जानकारी प्राप्त की तो मेरे पिताजी श्री अचलाराम के गोदनामे का म्यूटेशन भी दर्ज हो चुका है। अतः अब पटवारी भंवरसिंह द्वारा रिश्वत राशि लेने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही परिवादी श्री सूजाराम नें एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मेरे द्वारा दिनांक 29.11.2022 को चामूण्डेरी पटवारी श्री भंवर सिंह व उसके दलाल श्री नाथूसिंह के खिलाफ रिश्वत राशि मांगने पर रिश्वत राशि लेने पर रंगे हाथो गिरफ्तार करने की कार्यवाही करने के लिये एक रिपोर्ट आपको पेश की थी। रिपोर्ट पर आप द्वारा रिश्वत राशि की मांग भी डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी। इसके पश्चात् मैं मेरे निजी धंधे से पूना (महाराष्ट्र) व अन्य स्थानो पर जाने के कारण आपके कार्यालय में हाजिर नहीं हो पाया। अब मुझे जानकारी मिली कि मेरे गांव मालनू में दूसरे पटवारी का स्थाई पदस्थापन हो चुका है। उस वक्त के पटवारी श्री भंवर सिंह के पास मेरे गांव मालनू का अतिरिक्त चार्ज था। मेरे द्वारा ऑनलाईन पता किया तो जानकारी मिली कि मेरे पिताजी श्री अचलारामजी के गोदनामे का म्यूटेशन भी भरा जा चुका है। अब पटवारी श्री भंवरसिंह से मेरा कोई काम शेष नहीं है, इसलिये अब श्री भंवरसिंह पटवारी के द्वारा मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करने की संभावना नहीं है। इस प्रकार परिवादी श्री सूजाराम से हुई वार्ता व रिपोर्ट से पाया गया कि अब आरोपी श्री भंवरसिंह व उसके दलाल

श्री नाथूसिह के विरूद्व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की संभावना नहीं है। चूंकि पूर्व में रिश्वत राशि का मांग सत्यापन हो चुका है। इस प्रकार आरोपितगणो द्वारा अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.स. का अपराध कारित करना प्रथम दृष्ट्या पाया गया है।

चूंकि रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार की जानी है, जिस क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली के नाम तहर्रीर जारी कर श्री दादूदान कानि. के मार्फत दो कार्मिको की ब्यूरो कार्यालय पर तलबी की गई। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो कार्मिको को अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना–अपना परिचय क्रमशः श्री दुर्गाराम पुत्र श्री उमाराम जाति मेघवाल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम भांवरी तहसील व जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत डेण्डा पंचायत समिति पाली, मोबाईल नं. 9828449077 एवं श्री मनीष राजपुरोहित पुत्र श्री रामसिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित उम्र 36 वर्ष पेशा नौकरी निवासी मकान नं. 92, ब्रम्ह विहार सोजतरोड़ पाली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत भांगेसर पंचायत समिति पाली, मोबाईल नं. 8619325788 के रूप में दिया। जिस पर दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अगवत करवाया गया। तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो में उपस्थित परिवादी श्री सूजाराम से दोनो कार्मिको का परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा रिपोर्ट दोनो कार्मिको को सुनायी एवं पढायी गयी तथा परिवादी, श्री भंवरसिंह पटवारी एवं दलाल श्री नाथूसिह के मध्य वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन हुई वार्ता जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है, को दोनो कार्मिको को सुनायी गई। दोनो कार्मिको द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यो एवं मांग सत्यापन के वक्त रिकार्ड की गई वार्ता से संतुष्ट होकर अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री सूजाराम द्वारा प्रस्तुतशुदा रिपोर्ट पर दोनो गवाहान के दिनांकित हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चता् परिवादी श्री सूजाराम, आरोपी श्री भंवर सिंह पटवारी एवं दलाल श्री नाथूसिंह के मध्य दिनांक 29.11.2022 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान हुई डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा वार्ता की उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के रूबरू कम्प्युटर के माध्यम से सुन–सुनकर व समझ–समझकर फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार करना प्रारम्भ की गयी जो वक्त 05:15 तक पूर्ण की गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता में परिवादी नें स्वयं की आवाज तथा आरोपी भंवरसिंह पटवारी व दलाल नाथूसिंह की आवाज की पहचान की। तत्पश्चात् रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त रिकार्ड वार्ता की अग्रिम अनुसंधान में सहयोग हेतु कम्प्युटर के माध्यम से दो पेन ड्राईव में डाउनलोड करवाया गया तथा पेन ड्राईव खुली हालत में रखे गये। डिजीटल वॉयस रिकार्ड में लगा उक्त मेमोरी कार्ड मूल ही डिजीटल वॉयस रिकार्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान कागज के छोटे लिफाफे में रखकर लिफाफे को कपडे की थैली में डालकर थैली को शिल्ड मोहर कर थैली पर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रान्सक्रीप्ट मन् अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री पूनाराम कानि. नं. 165 से तैयार करवायी गई।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री सूजाराम नें अपने पिता श्री अचलाराम के नाम म्यूटेशन भरवाने हेतु कागज तैयार कर गांव मालनू में प्रशासन गांवो के संघ केम्प में दिनांक 08.12.2021 को श्री भंवरसिंह पटवारी चामूण्डेरी अति. चार्ज मालनू को पेश किये, लेकिन पटवारी श्री भंवरसिंह द्वारा दो माह तक म्यूटेशन नहीं भरने

पर पटवारी के कहेनुसार उसके दलाल श्री नाथूसिंह नें परिवादी से 10,000 रूपये की मांग की। जिस पर ब्यूरो द्वारा रिश्वत राशि का मांग सत्यापन करवाया गया तो श्री भंवरसिंह पटवारी नें रिश्वत राशि की मांग की तथा रिश्वत राशि अपने दलाल श्री नाथूसिंह के कहेनुसार देने के लिये कहा। इस पर श्री नाथूसिह नें परिवादी श्री सूजाराम से 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा परिवादी द्वारा कम करने का निवेदन करने पर दलाल श्री नाथूसिंह 5,000 रूपये रिश्वत राशि लेने के लिये सहमत हुआ। परिवादी श्री सूजाराम अपने निजी कार्य से पूना (महाराष्ट्र) चला गया। इसी अवधि में परिवादी के मूल गांव मालनू में स्थाई अन्य पटवारी की नियुक्ति हो गयी तथा परिवादी के पिता के गोदमाने का म्यूटेशन भी दर्ज हो गया व तत्कालीन पटवारी श्री भंवरसिंह के पास चार्ज नहीं रहा, इसलिये अब ट्रेप की अग्रिम संभावना नहीं होने की एक रिपोर्ट भी परिवादी नें पेश की।

उपरोक्त तथ्यो से श्री भंवरसिंह तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल चामूण्डेरी अति. चार्ज पटवार मण्डल मालनू तहसील बाली जिला पाली हाल पटवारी (भू.अ.) पटवार मण्डल चामुण्डेरी एवं दलाल श्री नाथूसिंह का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.स. का कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है।

अतः आरोपी श्री भंवरसिंह पुत्र श्री शंकर सिंह निवासी ग्राम पातावा पोस्ट सेवाड़ी तहसील बाली जिला पाली तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल चामूण्डेरी अति. चार्ज पटवार मण्डल मालनू तहसील बाली जिला पाली हाल पटवारी (भू.अ.) पटवार मण्डल चामुण्डेरी एवं दलाल श्री नाथूसिंह के विरूद्व धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(पारस सोनी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली–द्वितीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री भंवरसिंह पुत्र श्री शंकर सिंह, तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल चामूण्डेरी अति. चार्ज पटवार मण्डल मालनू तहसील बाली, जिला पाली हाल पटवारी (भू.अ.) पटवार मण्डल चामुण्डेरी एवं 2. श्री नाथूसिंह, दलाल के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 96/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26.4.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 747-51 दिनांक 26.04.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, पाली।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय।

26.4.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।